


<p>तारिख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या: 72/2022</p>	<p>नम्बर व तारिख अहमद, जा इस हुकम कोतामिल मे जारी हुए</p>
<p>25.11.2022</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री प्रतापसिंह पुत्र मंगलसिंह जी, जाति- राजपूत, निवासी- कालन्दी, तहसील व जिला- सिरौही के अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया उपस्थित। अप्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये उप तहसीलदार, कालन्दी की ओर से परोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी को जारी नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ।</p> <p>स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अपीलार्थी के वकील द्वारा बहस में प्रस्तुत तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अपील में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, कालन्दी द्वारा प्रकरण संख्या 363/2015 में पारित निर्णय दिनांक 31.10.2022 के द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध सिविल कारवास की सजा के पारित आदेश की क्रियान्विति एवं प्रभाव को अपील के निर्णय तक स्थगित रखा जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">  अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरौही </p>	

